

# न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम


फर्द अहकाम

मु. नं० ५६/१७ तारीख २५.५.१७

उजवान - शिवचरण बनाम मिशोरसिंह व मे०  
गुजर गाड़ीसा

दावा बाबत इस्तकशरहक व स्थायी निषेधाज्ञा  
धारा अन्तर्गत ८८, १८८ RTA Act

वादी की ओर से श्री राममरोसी गुप्ता एडवोकेट ने  
दावा बाबत इस्तकशरहक, स्थायी निषेधाज्ञा धारा  
८८, १८८ अन्तर्गत RTA Act पेश किया। प्रस्तुत दस्तावेजों  
का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर  
प्रतिवादीमण को जरिये सम्मन से तलब किया जाकर  
दिनांक ५.७.१७ को पेश हो।


  
उपजिला कलेक्टर  
टोडाभीम (करीली)

१८८३-८७  
२५.५.१७

५.७.१७

वादी वकील उप०। प्रतिवादी नं. ५५ अबजूद सूचना उप०  
नहीं। प्रतिवादी नं. १ का सम्मान विधिवत तामील नहीं  
हुआ है। २, ३ के सम्मान बाद तामील प्राप्त नहीं हुई  
२०. ६० के सम्मान पधारें हैं दि० २५.७.१७ को पेश हो।

७.१७  
वादी वकील उप०। प्रतिवादी नं. १ के पुत्र डा. लखन  
प्राप्त करने हेतु काट किया है इसलिए तामील नहीं  
जाती है अतः प्रतिवादी नं. १, ५५ अबजूद सूचना  
उपस्थित नहीं है उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही  
ही जाती है प्रतिवादी नं. २, ३ के सम्मान तलबना पुनः  
पेश हो। वास्तु तलबी दि० १७.८.१७ को पेश हो।

  
जगदीश आर  
उपजिला कलेक्टर  
टोडाभीम

2017/00061- शिवचरण v/s विश्वेश सिंह वेंगा

# न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

4-2-21 बकुलनाथ उपय वादी वकील ने वादी साक्ष्य पेश करने पुनः समय चाटा। एक मौका और दिया गया। वादी साक्ष्य पेश करने दिनांक 12.3.21 को पेश हो।

2-3-21 पत्रावली पेश हुई। बार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। गतानुसार दिनांक 9.4.21 को पेश हो।

9-4-21 बकुलनाथ उपय वादी साक्ष्य पेश करने पुनः समय चाटा। न्याय स्थिति में एक मौका और दिया जाता है। वादी साक्ष्य पेश करने दिनांक 21.5.21 को पेश हो।

06.08.21 पत्रावली जॉड डाइर के कारण जनरल डेरी पर पेश हुई। बकुलनाथ उपय उभयपक्षों उपस्थित। बकुलनाथ उपय पेश करने देवु बकुलनाथ उपय वादी साक्ष्य पेश करने दिनांक 3-9-21 को पेश हो।

12-8-21 वादी एवं वादी वकील ने उपस्थित होकर पक्षकारों में राजीनामा हो जाने से मुकदमा आगे नहीं लाने एवं खारिज करने के संदर्भ में पत्रों के साथ पत्रावली तालब करने का संदर्भ फा प्रस्तुत करने पर पत्रावली तालब की गई। वादी एवं वादी वकील ने मुकदमा आगे नहीं लाने का कथन कर मुकदमा खारिज करने का निवेदन किया। अपेक्षा की गई। अतः यह दावा Not-Press में खारिज किया जाता है। पत्रावली फासत शुमार होकर न्याय स्थगित होकर दाखिल दफ्तर हो।

Not-Press  
राजेश  
विश्वेश सिंह  
12/8/21

Not Press  


12/8/21  
(दुर्गा प्रसाद मीना)  
उपबन्ध अधिकारी टोडाभीम  
जिला-कराली